FORM 111
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

जोगेन्द्र सिंह बनाम दिपेन्द्र सिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र 128 रा.भू.रा.अधिनियम मुकदमा नम्बर 904 सन 2023 सीसीएमएस नं.

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिश्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 128 रा.भू.रा.अधिनियम पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस / रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.12.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
27/12/23 वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी की तामील गत आदेशानुसार की जाकर पत्रावली दिनांक 24/1/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/1/24 वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से होना पायी जाती है बावजूद सम्यक तामील अनु०। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अग्रिम बहस पत्रावली दिनांक 13/2/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/2/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/3/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
4/3/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/3/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:16:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रा0 पत्र संख्या:– 904/2022
उनवान जोगेन्द्र सिंह बनाम दिपेन्द्र सिंह

27/3/2024 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि राजस्व ग्राम खादरा पटवार हल्का खादरा के ख.न. 545 रकबा 0.78 हैक्ट. का प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का दिनांक 20.10.2023 को तहसीलदार, नीमकाथाना से सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम खादरा पटवार हल्का खादरा तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 545 रकबा 0.78 हैक्ट. प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम खादरा पटवार हल्का खादरा तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 545 रकबा 0.78 हैक्ट. की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 20.10.2023 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:16:42 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner